बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आम सूचना

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण लाभुकों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित कि जा रही है।

आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2023

पात्र छात्र / छात्राएं NIC द्वारा विकसित ekalyan पोर्टल https://medhasoft.bih.nic.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के बाद छात्र / छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 तथा ईमेल आईडी पर यूजर आाईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा ।

यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्र/छात्रा पुनः पोर्टल पर लॉग इन करके फार्म भर सकेगें।

ध्यान रहे की बैंक खाता पात्र छात्र/छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए।

उक्त योजना के लाभ हेतु पात्र छात्र/छात्रा दिनांक 28.02.2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पायेंगे।

यदि पात्र छात्र/छात्रा दिनांक 28.02.2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नही हैं तथा दिनांक 28.02.2023 के पश्चात् उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जायेगा।

किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नं0 9534547098, 8986294256 एवं ईमेल आई डी0 mkuymatric2022@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

PR No.-15097 (Education)D. 2022-23

निदेशक (मा0शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।